आरटीआई मामला

सं. ओ-17035/13/2017-एचएफए-4(एफटीएस-9031083)

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्यमंत्रालय

(एचएफए-IV अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

दिनांक : 28th दिसम्बर, 2018

सेवा में,

श्री अजय कुमार,
सुपुत्र श्री लक्ष्मीचन्द,
आवास सं. 227, सत्यम एन्क्लेव,
माउंट लीथरा जी स्कूल के समीप, मोदीपुरम,
मेरठ, उत्तर प्रदेश-250110

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के बारे में ।

महोदय,

मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 30.11.2018 के का.ज्ञा.सं. आरटीआई/14044/2018-पीएमआर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अंतरित और सीपीआईओ एवं अवर सचिव (एचएफए- IV) के कार्यालय में दिनांक 06.12.2018 को प्राप्त आपके आरटीआई आवेदन दिनांक 'शून्य' का हवाला देने का निदेश हुआ है जो प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन के सीएलएसएस घटक के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी से संबंधित सूचना प्राप्त करने के बारे में है ।

2. यह बताया जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के घटक ऋण सम्बद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय ने प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को सब्सिडी प्रदान करने के लिए दो केन्द्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनए) अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास एवं नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) की पहचान की है । केन्द्रीय नोडल एजेंसियों ने स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पीएलआई के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं ।

3. एनएचबी ने जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इसलिए यह अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए समुचित प्राधिकारी है । अत: आपका आरटीआई आवेदन एनएचबी को आरटीआई अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंध के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने और आवेदक को सीधे सूचना भेजने के अनुरोध के साथ अंतरित किया जा रहा है ।

जारी...

4. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं । अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता नीचे दिया गया है :-

डा. चन्द्रमणि शर्मा, निदेशक(एचएफए-4)
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
कमरा सं. 222-जी,
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

भवदीय,

राहुल

(राहुल माहना)
अवर सचिव एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी(एचएफए-4)
दूरभाष सं. 23061285

प्रतिलिपि प्रेषित :

i) श्री प्रभात रंजन, उप प्रबंधक, आरटीआई सेल, राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर-5ए, चौथा तल, इंडिया हैबिटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 । आरटीआई आवेदन आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करने और आवेदक को उपलब्ध सूचना सीधे प्रदान करने के अनुरोध के साथ स्थानांतरित किया जाता है।
ii) अवर सचिव एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी (श्री प्रवीण कुमार), प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ।
iii) नोडल आरटीआई अधिकारी, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवनदीप बिल्डिंग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
iv) अनुभाग अधिकारी (पीआई सेल), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को सूचनार्थ।
v) अनुभाग अधिकारी (आईटी सेल), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को यह जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।